न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2014 / जैसलमेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
स्वरूपसिंह पुत्र श्री स्व. श्री खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बींजोता तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर	1. सगतसिंह पुत्र श्री खेतसिंह 2. वैरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह 3. अर्जुनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह 4. उत्तमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह 5. हाथीसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह 6. श्रीमती डेलकंवर पत्नी श्री प्रतापसिंह सर्वे जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम बींजोता तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर राजस्थान 7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 68 / 2011 बअनवान सगतसिंह बनाम स्वरूपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विमलेश कुमार पुरोहित अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–27.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बींजोता में खसरा नम्बर 168 रकबा 48.15 बीघा, जिसका समरी खसरा नम्बर 7 था, जो उसकी पैत्रिक सहखातेदारी की कृषि भूमि है। उसमें उसका 1/3 हिस्सा खातेदारी में होना घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द किया जावे कि वह यह भूमि किसी को बेचान नहीं करे और काश्त करने हेतु जबरदस्ती प्रवेश नहीं करावे व वादी के कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावलियां दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावलियां पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि केवल वादग्रस्त खसरा की भूमि नहीं थी, बल्कि अन्य भूमि, जिसका वर्णन प्रतिवादी/अपीलांटस ने अपने जबावदावे में किया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात प्रदर्श 01 से 03 से साबित हैं, वह भूमि भी थी, जिसका मोखिक पारिवारिक समझौता अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के बंट में आई हैं, जिसमें वादी का कोई हक नहीं है। वादी या अन्य प्रतिवादीगण ने इस तथ्य का कतई खण्डन अपने अभिवचनों के जरिए नहीं किया हैं। ऐसे हालात में मौखिक पारिवारिक समझौता के जरिऐ वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के बंट में आने के तथ्य के संबंध में वादी व अन्य प्रतिवादीगण की कानूनन स्वीकारोक्ति मानी जानी चाहिए थी, जो न मानने में तथा तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित करने में न्यायालय ने भूल की है। वादी ने अपनी जरिह में इस बात का स्वीकार किया है कि हम अपने अपने बंट की जमीन पर काश्त करते है, प्रदर्श 2 फर्द इकतलाफ इन्द्राजात खसरा जो, कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वक्त बन्दोबस्त तैयार किया था, वह सही हैं। वादी ने अपने वाद में स्व. खेतसिंह की पुत्रियों उदयकंवर, गैरा व पदमा तथा मृतक पुत्र सिमरथसिंह के वारिसान में मौजूद पत्नी चुतर कंवर को पक्षकार नहीं बनाया है तथा खेतसिंह के मृतक पुत्र प्रतापसिंह की पुत्रियों कमला, मोरू व समदा को वाद में पकक्षकार नहीं बनाया है, जो कानूनन वाद में आवश्यक पक्षकार हैं और जिनके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। इस उजर के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात संया 0 व 04 वरिचित की है। खेतसिंह व प्रतापसिंह की उक्त पुत्रियां होने व सिमरथसिंह की बेवा चुतरकंवर होने के कथन को वादी ने कतई खण्डन अपने अभिवचनों में नहीं किया है, बल्कि वादी ने अपने बयानों में जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हम चार भाई है, जिनमें मै व प्रतिवादी संख्या 01 जीवित हैं मेरे तीन बहिने जीवित हैं, जिनके नाम उदा, गेहरा, धापू है। वादी ने हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं किया गया। अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य पर कोई गौर न कर, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध जाकर पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अदालत

मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का सही तरीके से परिशीलन नहीं कर राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध व अनुचित तरीके से संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि के सुस्थिापित सिद्धांत की अवहेलना कर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RAJASTHAN HIGH COURT APPEAL NO 107 OF 1993

DNJ 1998 Page 61

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि ग्राम बींजोता में खसरा नम्बर 168 रकबा 48.15 बीघा, जिसका समरी खसरा नम्बर 7 था, जो उसकी पैत्रिक सहखातेदारी की कृषि भूमि है। उसमें उसका 1/3 हिस्सा खातेदारी वादी/रेस्पोडेंटस की है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा घोषित की गई। वादी का वाद भू प्रबन्ध की उन प्रविष्टियों को चुनौति देते हुए पेश किया गया है जो खसरा परिशोधन पत्र से संधारित हुई तथा दावा रेकर्डेड खातेदारान के विरूद्ध है इसलिये अन्य किसी को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है अगर अन्य कोई अपने आपको इस आराजी में हित बद्ध समझता है तो उसे स्वयं को आवेदन करना चाहिए वादी अपने वाद का मास्टर है उसे ऐसे व्यक्तियों को पक्षकार बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनके विरूद्ध वादी किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहता। हस्तगत वाद सन 2011 में पेश किया गया जिसमें विस्तृत सुनवाई के बाद वादीगण/रेस्पोडेंटस के पक्ष में डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा उतरदाता/वादीगण को नाहक तंग व परेशान करने एवं वादीगण को मिले खातेदारी अधिकार से वंचित करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

WLN 2017(3) Page 254

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 19.01.2011 को खारिज होने के पश्चात उसके रेस्टोरेशन के प्रार्थना–पत्र निस्तारण के संबंध में अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया हैं। तामील जो बताई गई है, जिसमें फर्जी तौर पर अंगुष्ठ निशानी अपीलार्थी की, की जाकर तामील बताई गई हैं। अपीलांटस को वाद पुन दर्ज होकर उसका निर्णय दिनांक 25.10.2012 को होने की जारकारी नहीं हो सकी। अभी दिनांक 20.02.2014 को अपीलार्थी पटवारी से के सी सी के संबंध में मिला तो पहली बार पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है तथा निर्णय की पालना राजस्व रिकॉर्ड में हो चुकी है। इस पर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 20.02.2014 को प्रस्तुत किया जिस पर नकले दिनांक 26.02.2014 को प्राप्त हुई, प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर अपीलांटस को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने हेतु जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2020(1) Page 265

RLW 2017(4) Page 2719

AIR 1998 Page 3222

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होन के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2021(2) Page 455

DNJ 2014 SC Page 310

WLN 2017(3) Page 254

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावलियां पर की गई बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में मूल वाद एवं जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई लेकिन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलांटस द्वारा पेश जबाव दावे में आये तथ्यों का विधि सम्मत अवलोकन करने के पश्चात तनकी का निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आनन–फानन में जल्दबाजी में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन अध्ययन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपीले रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाज अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2011 बअनवान सगतसिंह बनाम

स्वरूपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। हस्तगत वाद में मूल दावे एवं जबावदावे के आधार पर कायम तनकीयात का विधि सम्मत तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2011 से लम्बित है जो काफी पुराना हो गया है इसलिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने का प्रयास करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर